संख्या-34/2022/115/23-14-2022-14आ0पू0वि0नि0/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बस्ती, वाराणसी, चंदौली, बहराइच, बलिया, एवं सुलतानपुर।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 30 मार्च, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 में जनपद-बस्ती, वाराणसी, चंदौली, बहराइच, बलिया, एवं सुलतानपुर की 13 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती के पत्र संख्या-527/पू0वि0नि0-राज्यांश/2021-22/सी-21, दिनांक 25.02.2022 एवं संख्या-415/13सं0पू0वि0नि0/, दिनांक 18.02.2022, मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-993/पू0वि0नि0, दिनांक 09.03.2022, मुख्य विकास अधिकारी, चंदौली के पत्र संख्या-3333/पू0वि0नि0, दिनांक 27.12.2021, मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच के पत्र संख्या-537/पू0वि0नि0(राज्यांश) सामान्य/एस0सी0पी0/2021-22/प्रा0ख0,लो0नि0वि0, दिनांक 08.03.2022, मुख्य विकास अधिकारी, बलिया के पत्र संख्या-1418/पू0वि0नि0, दिनांक 04.08.2021, तथा मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर के पत्र संख्या-804/पू0वि0नि0/राज्यांश/21-22, दिनांक 22.03.2022, संख्या-805/पू0वि0नि0/राज्यांश/21-22, दिनांक 22.03.2022 तथा संख्या-803/पू0वि0नि0/राज्यांश/21-22, दिनांक 22.03.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित जनपदों की कतिपय परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में अंकित जनपदों की 13 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगली किस्त के रूप में धनराशि रू0 5,73,08,000.00 (रूपये पांच करोड़ तिहत्तर लाख आठ हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम/ जनपद का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	नहर मार्ग से शंरकपुर पण्डितपुरवा सड़क तक पिच मार्ग। **जनपद-बस्ती**	120/2021/327/23-14-2020-34आ0पू0वि0नि0/21, दिनांक 23.03.2021	1.50	109.76	10.97	50.00
2	सोनहा शिवाघाट मार्ग से लेदवा मार्ग। **जनपद-बस्ती**	103/2018/450/23-14-2018-101आ0पू0वि0नि0/17, दिनांक 31.03.2018	0.80	50.84	21.00	22.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	गाजीपुर सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बस्ती**	तदैव	2.10	166.05	68.70	50.00
4	ग्राम सभा सराय डगरी से पारापुर चौराहे से सराय डगरी खुर्द रमना होते हुए हरिजन बस्ती होते हुए तारापुर प्राथमिक पाठशाला तक मार्ग निर्माण। **जनपद-वाराणसी**	128/2021/550/23-14-2021-30आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 24.03.2021	4.50	220.49	110.23	50.00
5	सरने ददवा पर डाइन माई से श्यामलाल बिन्द के घर से होते हुए धपरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक मार्ग का नवनिर्माण। **जनपद-चंदौली**	84/2019/185/23-14-2019-55आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 27.02.2019	2.80	122.35	36.70	50.00
6	छूटी कड़ी के अन्तर्गत शेखनपुरवा से झाला कलां होते हुए कहारनपुरवा सं0 मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बहराइच**	106/2021/334/23-14-2021-39आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 18.03.2021	3.300	280.29	28.28	50.00
7	चन्दुकी से बरवां मार्ग का लेपन का निर्माण कार्य एवं 2 नं0 600 एम0एम0 डाया ह्यूम पाईप पुलिया सहित। **जनपद-बलिया**	117/2016/369/23-14-16-245आ0पू0वि0नि0/15, दिनांक 31.03.16	1.20	58.17	24.26	28.89
8	पक्का कोट से सिंहपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य एवं 3 नं0 600 एम0एम0 डाया ह्यूम पाईप पुलिया सहित। **जनपद-बलिया**	तदैव	2.00	86.76	35.70	46.06
9	गुरवा से करनई मार्ग का लेपन का कार्य एवं नं0 600 एम0एम0 डाया ह्यूम पाईप पुलिया सहित। **जनपद-बलिया**	तदैव	2.80	122.03	49.81	50.00
10	पाराबासूपुर मार्ग से बड़गांवा (अलीमुद्दीनपुर) सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-सुलतानपुर**	132/2021/548/23-14-2021-44आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 24.03.2021	1.700	99.07	9.90	50.00
11	हलियापुर बेलवाई मार्ग से (गोल्हनपारा) मार्ग से जौनरा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-सुलतानपुर**	तदैव	1.700	102.16	10.21	50.00
12	बीरी हाजीपुर हनुमान मंदिर से मजगवां तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-सुलतानपुर**	73/2019/24/23-14-2019-68आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 18.02.2019	3.00	153.95	123.16	25.79
13	अहरा मुसहर बस्ती पिच रोड से लोनिया बस्ती होते हुए हुबराज के घर तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-सुलतानपुर**	157/2021/359/23-14-2021-44आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 25.03.2021	2.500	167.90	16.79	50.00
		;kx	**29.90**	**1739.82**	**545.71**	**573.08**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- परियोजनाओं का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायँ। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2022 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) परियोजनाओं की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत " पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

<u>संख्या-34/2022/115(2)/23-14-2022-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।